हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नई अस्थायी नियुक्ति मेरिट पर होगी

HaryanaJobs.in

डिप्लोमाधारक ओवरक्वालिफाइड, 2022 में बनी डिग्री अमान्य का शासनादेश

डॉ. सुनील श्री भारद्वाज

नारनौल, 11 जून : हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए 2024 तक या उसके बाद की सभी नई अस्थायी नियुक्तियां मेरिट पर होंगी। इसके लिए विभागवार तीन कैटेगरी अब पर्याप्त नहीं होंगी, 2022 में जारी एक शासनादेश रद्द किया गया है।

मनीषा यादव

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पहलकदमी का संकेत दे दिया है। यह फैसले की घोषणा हो सकती है। जो प्रत्याशी कौशल रोजगार निगम के जरिए राजकीय, अर्धसरकारी या निगमों में नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको अब नई योग्यता हासिल करनी होगी। यह जानकारी मंगलवार को निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. सुमित कुमार ने दी।

निगम द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, अब नियुक्ति के लिए तीन श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी में 10वीं पास अभ्यर्थी होंगे, जिनके लिए 40 अंक की परीक्षा होगी। दूसरी श्रेणी में 12वीं पास और डिप्लोमाधारक होंगे, जिनके लिए 60 अंक की परीक्षा होगी। तीसरी श्रेणी में ग्रेजुएट और उससे ऊपर की डिग्री वाले होंगे, जिनके लिए 80 अंक की परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी 33 प्रतिशत अंक हासिल करेंगे, उन्हें ही नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा।

कैटेगरी पर नियुक्ति के लिए यह होगा वजन का मापदंड

नियुक्ति	अधिकतम नंबर
मानक परीक्षा	40
इंटरव्यू का दौर	15
योग्यता संबंधी	20
सामुदायिक-सामाजिक मानदंड	05
मेरिट लिस्ट का बोनस	10
ईडब्ल्यूएस डिस्काउंट	10
भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त वेटेज	50
कुल	150

आवेदन प्रक्रिया शुल्क के अंक 10 से कम होंगे, उसका आवेदन इस तरह होगा

आवेदन शुल्क (रुपये)	अंक
1,00,000 से 2,50,000 तक	30
2,50,001 से 4,00,000 तक	20
4,00,001 से 6,00,000 तक	10

उस के लिए अधिकतम 10 अंकों का आवंटन भी होगा

उम्र	अधिकतम नंबर (न्यूनतम)
18 से 24	05
24 से 30	10
30 से 36	15
36 से 42	10
42 से ज्यादा	00

सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 05 अंक इस तरह होंगे

अब सामाजिक-आर्थिक मानदंड में यह आवेदक ऐसा परिवार का दूसरा सदस्य होगा है, जिसके पिता की मृत्यु 45 साल पूरी होने से पहले हो गई हो या आवेदक परिवार का पहला सदस्य है, जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई हो तो उसे पांच अंक मिलेंगे।

दोहरी डिग्री पर 10 अंक का प्रोत्साहन

जिन्हें कौशल रोजगार के लिए 40 अंक की परीक्षा देनी है, उन्हें 10 अंक का प्रोत्साहन मिलेगा। यह दो स्नातकों को दिया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस डिस्काउंट के 10 अंक भी मिलेंगे

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार को भी विशेष छूट मिलेगी। इन्हें 10 अंकों का डिस्काउंट मिलेगा।

भूतपूर्व सैनिकों को 50 अंक का वेटेज

भूतपूर्व सैनिकों को 50 अंक का वेटेज मिलेगा। इसके अलावा, सेवा के दौरान वीरता पदक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 05 अंक इस तरह होंगे

अब सामाजिक-आर्थिक मानदंड में यह आवेदक ऐसा परिवार का दूसरा सदस्य होगा है, जिसके पिता की मृत्यु 45 साल पूरी होने से पहले हो गई हो या आवेदक परिवार का पहला सदस्य है, जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई हो तो उसे पांच अंक मिलेंगे।

दोहरी डिग्री पर 10 अंक का प्रोत्साहन

जिन्हें कौशल रोजगार के लिए 40 अंक की परीक्षा देनी है, उन्हें 10 अंक का प्रोत्साहन मिलेगा। यह दो स्नातकों को दिया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस डिस्काउंट के 10 अंक भी मिलेंगे

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार को भी विशेष छूट मिलेगी। इन्हें 10 अंकों का डिस्काउंट मिलेगा।

भूतपूर्व सैनिकों को 50 अंक का वेटेज मिलेगा

भूतपूर्व सैनिकों को 50 अंक का वेटेज मिलेगा। इसके अलावा, सेवा के दौरान वीरता पदक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।